

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली में लैंड पूलिंग से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर

- 104 लैंड पूलिंग गाँवों के भू-स्वामियों/ किसानों के लिए लैंड पूलिंग पोर्टल को फिर से खोला गया है।
- लैंड पूलिंग पॉलिसी, 2018 के अंतर्गत भागीदारी हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए डीडीए वेब –पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करें।
- वेब पोर्टल 45 दिनों तक खुली है (10.11.2021 to 24.12.2021)
- सभी लैंड पूलिंग गाँवों (ज़ोन जे, के-I, एल, एन, पी-I, पी-II) के लिए सरलीकृत ऑनलाइन पंजीकरण खुला है।
- इस नीति के अंतर्गत ज़ोन एन (बरवाला, मुबारकपुर) एवं ज़ोन पी-I (बांकनेर, भोरगढ़, होलम्बी कलाँ, खेरा कलाँ, कुरेनी, मामूरपुर, नरेला), के 9 नए गाँवों को पहलीबार शामिल किया गया है।
- जो भूमि मालिक अभी तक पंजीकरण नहीं करा पाए, उनके लिए, शहर के विकास में भागीदार बनने का एक और अवसर - 6930 हेक्टेयर भूमि पूल की जा चुकी है
- भागीदारी के लिए भूस्वामी स्वयं को पंजीकृत करें.
- आवेदक “फॉर्म भरने के दिशानिर्देशों” को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

नीति/ विनियमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए लिंक निम्नानुसार है

<https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/default.aspx>

पंजीकरण के लिए लिंक

<https://online.dda.org.in/landpooling/AppForm/landpoolreg.aspx>

Follow us on



@ddaoofficial



@official_dda

Please visit DDA's website at www.dda.gov.in or Dial Toll Free No. 1800-110332